

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1552
जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है।

असम में विद्युत कनेक्शन

1552. श्री एम. बदरुद्दीन अजमल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि असम के धुबरी, गोलपारा, दक्षिण सलनारा और मनकाचर जिलों के गांवों सहित बड़ी संख्या में गांव अभी भी विद्युत संपर्क से वंचित हैं और यदि हां, तो जिले-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का गांवों तक विद्युत पहुंचाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की असम के सभी गांवों में विद्युत उपलब्ध कराने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने पूरे देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसम्बर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) प्रारंभ की। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत और इसके बाद प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत, सभी राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2019 तक सभी गांवों तथा सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा कर दिया गया था।

सौभाग्य के तत्वावधान में कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया था, जिसमें दो चरणों में अतिरिक्त घर शामिल थे, जो पहले विद्युतीकरण के लिए इच्छुक नहीं थे, लेकिन बाद में इच्छुक हो गए। असम

के धुबरी, गोलपारा, दक्षिण सलमारा और मनकचर जिलों में डीडीयूजीजेवाई (आरई और अतिरिक्त अवसंरचना) तथा सौभाग्य के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	स्कीम	धुबरी	दक्षिण सलमारा और मनकचर	गोलपारा	कुल जोड़
1	डीडीयूजीजेवाई (आरई)*		101826	60279	162105
2	डीडीयूजीजेवाई*		22848	285	23133
3	सौभाग्य*		114338	81928	196266
4	डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत अतिरिक्त घर	21 463	278	8692	30433
	कुल		260753	151184	411937

*दक्षिण सलमारा-मनकचर पहले धुबरी जिले का एक उप-मंडल था।

(घ) और (ङ) : नए घरों का निर्माण करना एक सतत प्रक्रिया है और ऐसे घरों के विद्युतीकरण का ध्यान वितरण यूटिलिटीयों द्वारा रखा जाना है। भारत सरकार, किन्हीं नए उभरते घरों, जो सौभाग्य के शुभारंभ के समय मौजूद थे, को विद्युतीकृत करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत उनके विद्युतीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में, राज्य अतिरिक्त घरों, जो सौभाग्य के शुभारंभ के समय मौजूद थे, परन्तु इन प्रावधानों के अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए रह गए थे, के विद्युतीकरण के लिए किसी भी प्रकार का अनुरोध कर सकते हैं।
